

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला खण्डवा के अंतर्गत वनमंडल खण्डवा के वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के कक्ष क्रमांक 513 A एवं B का रकबा 54.60 हेक्टेयर वनभूमि आवंटित मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि :- 15-03-18

स्थान:-भोपाल

15/3/18
(सुनील कुमार शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल